

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री रवि शंकर शर्मा, कनिष्ठ सहायक, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क., भरतपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 27.07.2016 है तथा दिनांक 26.07.2018 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्गिक द्वारा दिनांक 08.03.2017 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 16.03.2018 को टकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 27.07.2018 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

si

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 06/08/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2019/1660

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

2. अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क., भरतपुर।

3. श्री रवि शंकर शर्मा, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।

4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

si
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर